

फॉर्म अहकाम

क्रमांक _____ बनाम _____
 दिनांक 11 वर्ष 20/11/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/11/24	पत्रावली पेश की गई है। वकील उमयपश उपाय वकील काफ़ीतरता ने जाद प्रारम्भ 07 RII CPL के अन्तर्गत प्रारम्भ किया है। अज्ञात नमूने पेश जाता है जापान के पी पर जाद प्रारम्भ 07 RII प्रेष नहीं करके जाद की जापान सेवत। वकील उमयपश पत्रावली लखते जाद प्रारम्भ प्रारम्भ 14/11/24 को प्रेष	
16/11/24	पत्रावली पेश हुई। पीओओ सख्त अन्य प्रारम्भ में प्रारम्भ है। अज्ञात पत्रावली प्रारम्भ दिनांक 16/11/24 को प्रेष है।	
25/11/24	पत्रावली पेश की गई। वकील उमयपश उपाय पत्रावली वकील ने जाद प्रारम्भ 07 RII CPL प्रेष किया पत्रावली प्रारम्भ वकील उमयपश 07 RII CPL प्रेष 23/11/24 को प्रेष है।	
23/11/24	पत्रावली पेश की गई। वकील उमयपश उपाय वकील उमयपश प्रारम्भ 019 पत्रावली वकील उमयपश प्रारम्भ 18/11/24 को प्रेष है।	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपश उपाय वकील उमयपश प्रारम्भ 2 व 3 ने अज्ञात वकील उमयपश 07 RII CPL प्रेष अज्ञात वकील को वकील उमयपश प्रारम्भ 2 व 3 का प्रारम्भ — लगाता है	



फर्द अहकाम

वनाम

/ 20

या / वर्ष

दिनांक आझा या कार्यवाही

आझा विस्तृत रूप से

दिनांक आझा या कार्यवाही

दाखिल व दान्य वनाम सुरक्षित व दान्य आझा विस्तृत रूप से ताद सं. 47/2023

6/8/24

07 RII CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद को स्वीकार किया जाने हेतु भिवेदक निशाना (वकील अर्थात्) वादीगण ने अपकी कस में प्रमाण प्रस्तुत 07 RII CPC में अंकित वदों को दोहराते हुए प्रार्थना/प्रति. सं. 2 व 3 का प्रस्ताव 07 RII CPC को स्वीकार किया जाने हेतु भिवेदक किया है। पञ्जाब के राजस्व रिकार्ड, प्रमाण 07 RII CPC व प्रमाण प्रस्तुत 07 RII CPC का आलोचना अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की कस का मनम कानि पर हम सब निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादग्रस्त आराफी खण्ड 716 ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर के वादीगण के पूर्वजों के द्वारा अपने जीवनकाल में ही बहुत गृह निर्माण सहायक समिति कि० को आवासीय योजना सुविधा किने जाने के लिए विक्रय कर दिया था उसके पश्चात् संवत् समिति द्वारा सन् 1995 में आवासीय योजना निश्चित कर दी थी जिस पर 95% आवासीय मकान बन चुके हैं। वादग्रस्त भूमि का 20% अंश से आवासीय उपयोग हो रहा है जिसमें सडक बनी हुई है। बिछली व पानी के कनेक्शन जारी हैं। नगर निगम द्वारा खीवर लाईन भी आगयी जा चुकी है सरकार द्वारा सीमेंट रोड भी बना रली है। सभी सु-सुलझा/सु ने मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। कुल वर्तमान में वादग्रस्त आराफी पर आवासीय कनी हुई है। ऐसे स्थल आवासीय के श्रेण के संबंध में राजस्व-आयलय को आवासीय भूमि को कुल योग्य भूमि मानकर आदित्य पारित किया जाना-योज्योचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना/प्रतिवादीगण का प्रमाण 07 RII CPC को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद वाके ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर के आराफी खण्ड 716 रकबा 0.48 हे० वास्तु धोषणा, इन्ड्रान दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है। पश्चादि की प्रत्येक से तैयार कर प्रेषण करें। पञ्जाब नम्बर से काम लेकर वादवकील दारिद्र्य दफता है। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)